

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

IN THE COURT OF ALK Gupta, JAN GOVERN	
Case No3.85.//7 Complaint or report madeon	
Name and address of the Complainant	••
	••
नार्यात विवास	• •
Name , parentage, caste and address of accused	
And - 301918 month money	
A = on our one of	
1010 301912 MAIRIN MORELLE	
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission	
आप पर आरोप है कि दिनांक 1111 न मुकाम	
हरीराम के उपने पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने	
आधिपत्य में 🕽 इ. ज्या लिटिर / पाव / बोतल 🙎 🐉 शराब विकथ / परिवहन हेतु रखी।	
ऐसा करके आपने आबकारी अधि0 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय	9.
अपराघ कारित किया।	
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।	
	_
	P
The plea of the accused and his examination (if any)	
अपराध स्वीकार है। यून दण्ड से दण्डित करने को निवेदन है।	
55V2	
The state of the s	
पारित्रक मिला प्राप्त	
	o Si

//निर्णय// (आज दिनांक 28/12/19-को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर
सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त से स्वेच्छापूर्वक जुर्म अपराध स्वीकार करना व्यक्त
किया।

- 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धास 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
 - - 04 जप्तशुदा सम्पत्ति <u>२८ व विश्</u>रिप्पाव/बोतल <u>२८ व वार्</u>शाव पूर्विषठीत एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अविध पश्चात् नियमानुसार मूर्विषठीत एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अविध पश्चात् नियमानुसार की जावेन अपील होने की भागा अपील हुन्यायालय के आदेश का

जारिक परिवस्तर प्रथम वर्ष

· 格里